न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 19/2022

दायर दिनांक: 08.08.2022

निर्णय दिनांक 19.05.2026

—: अनवान :—

श्रीमती भँवरी पुत्री तिलोक जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द के बजाय

1/1 चम्पालाल पुत्र उदयरामजी जाति कुमावत आयु वयस्क (पति)

1/2 रमेशचन्द्र पुत्र चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क (पुत्र)

1/3 परशराम पुत्र चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क (पुत्र)

1/4. दाखुबाई पुत्री चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क (पुत्री)

1/5. सोहनलाल पुत्र चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क (पुत्र)

1/6 ज्ञानीदेवी पुत्री चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क (पुत्री)

1/7. जसराज पुत्र चम्पालाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क (पुत्र)

सभी निवासीयान धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलांट

—: बनाम :—

1. सुनील कुमार मुतबन्ना त्रिलोक जी कुमावत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द
2. महेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल जी चपलोत आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द
3. सुश्री अर्चिता पिता सुनील जी तापडिया आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

4. विनोद पिता लक्ष्मीलाल जी नुवाल जैन आयु वयस्क निवासी अहिंसा नगर, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
5. लोकेश कुमार पिता मनोहरलाल जी श्रीमाली आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
6. हुक्मीचन्द पिता गेहरीलाल जी जाति लौहार आयु वयस्क निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द
7. गंगादेवी पत्नि रामजीवन जी तापडिया आयु वयस्क निवासी इन्द्रा कॉलोनी, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
8. तरूण कुमार पिता छगनलाल जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी आस्तवाल संतोषीनगर, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
9. नगर परिषद, राजसमंद जरिये आयुक्त/सभापति नगर परिषद राजसमन्द
10. उप तहसीलदार कुंवारिया तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद
11. मुकेशलाल साहू पिता रामलाल जी साहू जाति तेली आयु वयस्क निवासी 367 चारभुजा मंदिर के पास, पीपली अहीरान तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
12. श्रीमती सवितासिंह पत्नि प्रभुनाथसिंह जी जाति सिसोदिया आयु वयस्क निवासी जे के ग्राम डी टी 49 कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद
13. दीपक परमार पिता कान्तिलाल जी परमार आयु वयस्क निवासी सनसिटी कॉलोनी गुडली, कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद
14. मांगीलाल छींपा पिता चम्पालाल जी छींपा आयु वयस्क निवासी किसान मोहल्ला कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद
15. आश्विनी पुरोहित पिता शिवदयाल जी पुरोहित आयु वयस्क निवासी ब्रम्हपूरी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
16. श्रीमती शालिनी शर्मा पत्नि अश्विनी पुरोहित आयु वयस्क निवासी ब्रम्हपूरी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
17. लोकेश पंचोली पिता भँवरलाल जी पंचोली आयु वयस्क निवसी संतोषीनगर जलचक्की कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद,

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

18. गजेन्द्र पुरोहित पिता शिवदयाल जी पुरोहित आयु वयस्क निवासी ब्रम्हपूरी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

19. श्रीमती नेहा पुरोहित पत्नि गजेन्द्र जी पुरोहित आयु वयस्क निवासी ब्रम्हपूरी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

20. श्रीमती सुषमा बंसल पत्नि नरेन्द्र जी बंसल जाति बंसल आयु वयस्क निवासी एच 22 बंसल विला हाथीनाडा, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद ? –

21. श्रीमती आरती चौहान पत्नि जीवनसिह जी राठौड आयु वयस्क निवासी 271–272 हर्षनगर रामपुरा चौराया उदयपुर जिला उदयपुर

22. श्रीमती मीरा तेली पुत्री मदनलाल जी तेली पत्नि मुकेश कुमार जी तेली निवासी मेघव नगर केलवा तहसील व जिला राजसमंद

23. विपूल तायल पिता श्यामसुन्दर जी तायल आयु वयस्क निवासी श्यामविला सिद्विपुरम काकी जी का बाग भीलवाडा रोड, कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद ?

24. श्रीमती शिखा अग्रवाल पत्नि विपूल तायल आयु वयस्क निवासी शान्ति कॉलोनी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद ?

25. प्रकाशचन्द्र पिता मांगीलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी कमल तलाई कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद

26. मांगीलाल पिता किशनलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी कमल तलाई कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद

27. पंकज जोशी पिता सुरेशचन्द्र जी जोशी जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी पंचरत्न कॉम्पलेक्स भीलवाडा रोड, कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद

28. मंजू पत्नि अनिल जी कोठारी आयु 30 वर्ष निवासी कानादेव का गुड़ा तहसील व जिला राजसमंद

29. श्रीमती चन्द्रादेवी पत्नि शान्तिलाल जी कोठारी आयु वयस्क निवासी कानादेव का गुडा तहसील व जिला राजसमंद

30. अनिल कुमार पिता शान्तिलाल जी कोठारी आयु वयस्क निवासी कानादेव का गुडा तहसील व जिला राजसमंद

– रेस्पोडेण्टगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2536 दिनांक 14.06.2007 द्वारा उप तहसीलदार कुंवारिया से व्यथित होकर

उपस्थितः–

1. श्री शेषमल गाडरी अधिवक्ता अपीलांट,
2. श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08
3. श्री मुकेश ओस्तवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 09 (अनुपस्थित)
4. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 10
5. श्री आर0 एल0 रावत अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 11
6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 12 से 20 तथा 22 से 30 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
7. श्री प्रहलाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 21

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 2536 दिनांक 14.06.2007 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धोईन्दा पटवार हल्का धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद में स्थित आराजी नम्बर 654, 1415/2, 1630, 1631, 1637, 1638, 1641, 1646, 1647 कुल किता 9 नौ कुल रकबा 10.08 दस बीघा आठ बिस्वा भुमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में तिलोक पिता किशना जी कुमावत के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज होकर विरासत से तिलोक के नाम पर आई। इस प्रकार उपरोक्त भुमियाँ पुश्तैनी जायदाद है तिलोक जी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

तिलोक (फौत)

भँवरीबाई पुत्री (अपीलांट)	सोहनीबाई पत्नि (फौत)

सोहनीबाई पत्नि (फौत) :

भँवरीबाई पुत्री (अपीलांट)	सुनीलकुमार गोदपुत्र (रे.सं. 1)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

तिलोक जी के फौत होने पश्चात् विरासत से अपीलांट एवं अपीलांट की माता सोहनीबाई के नाम पर नामान्तरकरण तस्दीक कर भुमियाँ राजस्व रेकार्ड में अपीलांट एवं सोहनीबाई के नाम पर दर्ज हुई। राजस्व रेकार्ड में अपीलांट एवं उसकी माता सोहनीबाई के नाम पर भुमियाँ दर्ज होने के पश्चात् अपीलांट ने अपने नाम पर दर्ज हिस्सा भुमि को अपनी माता के नाम पर हकत्याग करने से सम्पूर्ण भुमियाँ अपीलांट की माता सोहनीबाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। उसके बाद सम्पूर्ण भुमियों अपीलांट की माता के नाम पर होकर अपीलांट एवं उसकी माता भुमियो पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही थी। अपीलांट की माता सोहनीबाई के कोई पुत्र संतान नहीं होने से अपीलांट की माता ने रेस्पोण्डेंट संख्या एक को गोद लिया व रेस्पोण्डेंट संख्या एक अपीलांट का गोद भाई एवं सोहनीबाई का गोद पुत्र है। इसके पश्चात् अपीलांट की माता सोहनीबाई की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलांट की बिना जानकारी में रेस्पोण्डेंट संख्या एक ने रेस्पोण्डेंट संख्या दस से मिलीभगत कर गोदनामे के आधार पर अपीलांट की माता के नाम पर दर्ज उक्त सम्पूर्ण भुमियो का नामान्तरकरण रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर निर्णित करवा भुमियो को विरासत से गोदनामे के आधार पर अकेले रेस्पोण्डेंट संख्या संख्या एक के नाम पर दर्ज करा दिया जबकि सोहनीबाई के पीछे अपीलांट भी विधिक वारीसान होकर उनकी प्राकृतिक पुत्री है और उसका भी उक्त भुमियो में रेस्पोण्डेंट संख्या एक के समान ही 1/2 हिस्सा है। सोहनीबाई की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर कमशः 1/2, 1/2 हिस्से से नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था जो नहीं खोल कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है। रेस्पोण्डेंट संख्या एक द्वारा रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत आठ के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र प्रारम्भ से ही शुरू व बेअसर है तथा अपीलांट के मुकाबले महत्वहीन है। अपीलांट स्वर्गीय सोहनीबाई की प्राकृतिक पुत्री होकर विधिक वारीसान है और रेस्पोण्डेंट संख्या एक तो मात्र उसका गोद पुत्र है लेकिन लालच के चलते रेस्पोण्डेंट संख्या दस से मिलीभगत कर मृतका सोहनीबाई के पीछे अपीलांट के विधिक वारीसान होने के बावजूद अकेले रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर नामान्तरकरण फैसल कर दिया गया। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.02.2019 को नकल प्राप्त होने पर हुई है इससे पूर्व अपीलांट को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट स्वर्गीय सोहनीबाई पत्नि तिलोक की प्राकृतिक पुत्री एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक सुनील कुमार की बहिन होकर इनकी एक मात्र विधिक वारीसान है। इसलिए न्यायहित में रेस्पोण्डेंट संख्या दस द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2536 को निरस्त कर रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम के साथ साथ अपीलांट का नाम भी रेस्पोण्डेंट संख्या एक के हक अधिकार के समान ही अंकित किया जाना आवश्यक है अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश को अपास्त फरमाया जाकर कुलिया वर्णित भुमि को अपीलांट के नाम पर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी, रेस्पोडेन्ट संख्या 09 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश ओस्तवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी, रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित दी, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रतनलाल रावत ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी, रेस्पोडेन्ट संख्या 21 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रहलाद शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 12 से 20 तथा 22 से 30 के लगातार नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा दिनांक 10.02.2026 को पारित की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णिम तथ्यों को दोहराते हुए निवेदेन किया कि राजस्व ग्राम धोईन्दा पटवार हल्का धोईन्दा तहसील व जिला राजसमंद में स्थित आराजी नम्बर 654, 1415/2, 1630, 1631, 1637, 1638, 1641, 1646, 1647 कुल किता 9 नौ कुल रकबा 10.08 दस बीघा आठ बिस्वा भुमि स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में तिलोक पिता किशना जी कुमावत के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज होकर विरासत से तिलोक के नाम पर आई। तिलोक जी के फौत होने पश्चात् विरासत से अपीलांट एवं अपीलांट की माता सोहनीबाई के नाम पर नामान्तरकरण तस्दीक कर भुमियाँ राजस्व रेकार्ड में अपीलांट एवं सोहनीबाई के नाम पर दर्ज हुई। राजस्व रेकार्ड में अपीलांट एवं उसकी माता सोहनीबाई के नाम पर भुमियाँ दर्ज होने के पश्चात् अपीलांट ने अपने नाम पर दर्ज हिस्सा भुमि को अपनी माता के नाम पर हकत्याग करने से सम्पूर्ण भुमियाँ अपीलांट की माता सोहनीबाई के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। उसके बाद सम्पूर्ण भुमियों अपीलांट की माता के नाम पर होकर अपीलांट एवं उसकी माता भुमियो पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही थी। अपीलांट की माता सोहनीबाई के कोई पुत्र संतान नहीं होने से अपीलांट की माता ने रेस्पोण्डेंट संख्या एक को गोद लिया व रेस्पोण्डेंट संख्या एक अपीलांट का गोद भाई एवं सोहनीबाई का गोद पुत्र है। इसके पश्चात् अपीलांट की माता सोहनीबाई की मृत्यु होने के पश्चात् अपीलांट की बिना जानकारी में रेस्पोण्डेंट संख्या एक ने रेस्पोण्डेंट संख्या दस से मिलीभगत कर गोदनामे के आधार पर अपीलांट की माता के नाम पर दर्ज उक्त सम्पूर्ण भुमियो का नामान्तरकरण रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर निर्णित करवा भुमियो को विरासत से गोदनामे के आधार पर अकेले रेस्पोण्डेंट संख्या संख्या एक के नाम पर दर्ज करा दिया जबकि सोहनीबाई के पीछे अपीलांट भी विधिक वारीसान होकर उनकी प्राकृतिक पुत्री है और उसका भी उक्त भुमियो में रेस्पोण्डेंट संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एक के समान ही 1/2 हिस्सा है। सोहनीबाई की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट एवं रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम पर कमशः 1/2, 1/2 हिस्से से नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था जो नहीं खोल कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है। इसलिए न्यायहित में रेस्पोण्डेंट संख्या दस द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2536 को निरस्त कर रेस्पोण्डेंट संख्या एक के नाम के साथ साथ अपीलांट का नाम भी रेस्पोण्डेंट संख्या एक के हक अधिकार के समान ही अंकित किया जाना आवश्यक है अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश को अपास्त फरमाया जाकर कुलिया वर्णित भुमि को अपीलांट के नाम पर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 ने अपनी बहस में निवदेन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार कुंवारिया द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं है। श्री त्रिलोक की दो पत्नियां थीं जिसमें श्री सोहनी बाई उसकी द्वितीय पत्नी है तथा अपीलांट उसकी प्रथम पत्नी की पुत्री है। अर्थात श्रीमती भंवरी बाई, श्रीमती सोहनी बाई की प्राकृतिक संतान नहीं है अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसका इस भूमि में कोई हक नहीं है। साथ ही वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नही होकर वर्तमान में नगर परिषद के नाम पर दर्ज होकर आबादी भूमि हैं। अपीलांट द्वारा उक्त अपील 12 वर्षो के पश्चात पेश की हैं। और प्रथम संपरिवर्तन आदेश वर्ष 2010 में ही जारी किया जा चुका हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार कुंवारिया द्वारा नामान्तकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील विवादित नामांतरकरण संख्या 2536 दिनांक 14.06.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विवादित नामांतरकरण द्वारा सोहनी बाई बेवा श्री त्रिलोक जो कि अपीलांट के पिता श्री त्रिलोक की दूसरी पत्नी है, की मृत्यु होने पर श्री सुनील कुमार (रेस्पोंडेंट संख्या 1) के पक्ष में खोला गया था। जिसमें श्री सुनील कुमार को श्रीमती सोहनी बाई का गोद पुत्र माना गया था तथा विवादित नामांतरकरण के कॉलम संख्या 14 में प्रविष्टि के आधार पर गोदनामा दिनांक 25.04.2003 जो कि रजिस्टर्ड था और उस रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर यह म्यूटेशन खोला गया था जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है।

मूलतः यह कृषि भूमि श्री त्रिलोक के नाम पे थी तथा श्री त्रिलोक की मृत्यु होने पर यह भूमि अपीलांट श्रीमती भंवरी बाई तथा त्रिलोक की पत्नी श्रीमती सोहनी बाई के नाम पर दर्ज हुई थी। जिसे बाद में अपीलांट श्रीमती भंवरी बाई ने अपना हिस्सा श्री

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

त्रिलोक की पत्नी सोहनी बाई के नाम पर हकत्याग कर दिया तथा संपूर्ण भूमि श्रीमती सोहनी बाई के नाम पर दर्ज हो गई तथा श्री सोहनी बाई की मृत्यु होने पर रेस्पोंडेंट संख्या एक श्री सुनील कुमार मुतबन्ना त्रिलोक जी कुमावत के नाम पर दर्ज हो गई। अपीलांट का यह कथन है कि सोहनी की उसके द्वारा जो कृषि भूमि में हक त्याग श्रीमती सोहनी बाई के पक्ष में किया गया था वह अब चूंकि श्रीमती सोहनी बाई की मृत्यु हो चुकी है अतः अपीलांट श्रीमती भंवरी बाई उसकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अतः भूमि पुनः श्रीमती भंवरी बाई के नाम पर भी आनी चाहिए, जबकि संपूर्ण भूमि श्री सुनील कुमार गोद पुत्र श्री त्रिलोक के नाम पर दर्ज हो गई है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता गण की बहस के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि श्री त्रिलोक की दो पत्नियां थीं जिसमें श्री सोहनी बाई उसकी द्वितीय पत्नी है तथा श्रीमती भंवरी बाई उसकी प्रथम पत्नी की पुत्री है। अर्थात श्रीमती भंवरी बाई श्रीमती सोहनी बाई की प्राकृतिक संतान नहीं है अतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसका इस भूमि में कोई हक नहीं है। इसमें अपीलांट के अधिवक्ता का कथन था कि श्रीमती भंवरी बाई द्वारा जब अपना हक त्याग किया गया था तब श्रीमती सोहनी बाई को अपनी माता बताते हुए ही हक त्याग किया गया था जिसे सोहनी बाई ने भी स्वीकार किया था तथा यह मूलतः भूमि श्री त्रिलोक जी की थी जो कि अपीलांट श्रीमती भंवरी बाई के पिता भी हैं अतः उनकी पत्नी सोहनी बाई की मृत्यु होने पर यह भूमि पुनः श्रीमती भंवरी बाई को भी मिलनी चाहिए। श्री त्रिलोक के दो पत्नियां होने के संबंध में अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा वर्ष 1958 की मतदाता सूची भी प्रस्तुत की है जिसमें त्रिलोक की दो पत्नी श्रीमती कंवरी और श्रीमती सोहनी होना जाहिर हुआ है।

इस कृषि भूमि का तत्पश्चात भूमि के खातेदारों द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने की मंशा से इसमें समर्पण नगर परिषद राजसमंद के पक्ष में किया जा चुका है तथा नगर परिषद राजसमंद द्वारा इस भूमि पर नगर पालिका एक्ट के तहत पट्टे भी जारी किए जा चुके हैं तथा उन भूखंडों पर मकान भी निर्मित हो चुके हैं जिसकी फोटोग्राफ्स मय लैटीटयूड लोंगिटयूड गूगल अर्थ इमेज अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अर्थात आज की तारीख में यह भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय भूमि है। तो यहां पर यह उल्लेखनीय प्रश्न है कि आवासीय भूमि के स्वामित्व के निर्धारण के लिए राजस्व न्यायालय को किस सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए अथवा उसका क्षेत्राधिकार कहां तक बनता है सर्वप्रथम यह तय किया जाना मैं उचित समझता हूँ। जो नामांतरकरण वर्ष 2007 में खोला गया था उस नामांतरकरण का परीक्षण किए जाने से पूर्व इस प्रश्न का निर्धारण किया जाना भी आवश्यक है। यहां पर यद्यपि अपीलांट द्वारा सभी ज्ञात भूखंडधारियों को पक्षकार बनाया गया है परंतु इससे यह सुनिश्चित नहीं होता है कि इस भूमि, जो कि आवासीय रूप से संपरिवर्तित है, के कौन से भूखंड का स्वामित्व आज की तारीख में किस व्यक्ति के पास है क्योंकि भूखंडों की लीज डीड का पंजीकरण व विक्रय हस्तांतरण लगातार होने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसका रिकॉर्ड कई बार नगर परिषद में भी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नहीं होता है। नगर परिषद में भूखंडों के नामांतरकरण हेतु आवेदन करने पर ही यह सूचना नगर परिषद को प्राप्त हो पाती है। अतः इस प्रकरण में यह भी साबित नहीं हुआ है कि विवादित भूमि जो कि कृषि भूमि न होकर आवासीय भूमि है, के भूखंडों के स्वामित्व रखने वाले सभी व्यक्तियों को इस अपील में पक्षकार बना दिया गया है। तो यह एक निश्चय ही यह एक सिविल प्रकृति का विवाद है क्योंकि इसमें यदि अपीलांट इस भूमि पर जो कि आवासीय हो चुकी है अपना स्वामित्व साबित कराना चाहती है तो उसे मात्र एक नामान्तरण की अपील के जरिए यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि उसे नगरपालिका द्वारा किसी अधिनियम के तहत जारी लीज डीड को निरस्त कराए बिना तथा नगर परिषद द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश को निरस्त कराए बिना भी कोई राहत प्रदान नहीं हो सकती है। साथ ही इन भूखंडों पर भूखंड धारियों द्वारा मकानों का निर्माण भी करा लिया गया है जिनमें वे निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है जो कि पूर्णतः एक दीवानी मामला है जिसमें राजस्व न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है।

मात्र एक नामान्तरण का अकादमिक परीक्षण किया जाकर और हिंदू विधि के जटिल प्रश्नों को राजस्व न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जाकर कोई निर्णय पारित कर दिया जाना व्यापक न्यायहित में नहीं है तथा व्यापक जनहित में भी नहीं है। अतः मैं इस प्रकरण में कोई मेरिट नहीं पाता हूँ। अतः अपील निरस्त किए जाने का आदेश देना व्यापक न्याय हित में उचित समझता हूं। अपील एतद्वारा निरस्त की जाती है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद